



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062020-220028
CG-DL-E-19062020-220028

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1719]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942

No. 1719]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISTHA 28, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2020

का.आ. 1935(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.831(अ), तारीख 21 फरवरी 2020 द्वारा सम्शोधित की गयी थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड -3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित कि गई थीं, द्वारा आंध्रप्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-16 के 580.700कि.मी से 634.000कि.मी (नारसंन्नपेट - रनस्तलम सेक्शन) तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने/ छह लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना के उपलब्ध अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) 15, मार्च 2020 को “प्रजाशक्ति” में और “हिन्दू” में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में NH16 के कि.मी. 580.7 से कि.मी.634 (दि रेवेनुए डिवीज़न ऑफिस, श्रीकाकुलम) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: श्रीकाकुलम			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: एत्वेर्ला				
	गांव का नाम: एत्वेर्ला				
1	188/1	सरकारी	ड्राई डी पत्ता ड्राई	0.20235	मेंडा राजा रओ S/O राजप्पाडु , मेंडा जाया लक्समी W/o दलेपपादु , मेंडा लतछन्ना S/O पेद्दराजाना , मेंडा राजपदु S/O ततैया (188/१ब)
			कुल	0.20235	

[फा. सं. NHAI/ PIU-Vizag /LA-3a/N.Pet-Ranasthalam /2017/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2020

S.O.1935(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number **S.O.No.831dated 21st February 2020** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / Six-laning), maintenance, management and operation of National Highway No.16 on the stretch of land from Km.580.700 to Km.634.000 (Narasannapeta - Ranastalam Section) in the district of **Srikakulam** in the State of ANDHRA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**The Deccan Chronicle**” and “**Sakshi**” both dated **20th March 2018** under Sub-section (3) of Section 3A of the said Act and the principle

notification S.O.No. 2393(E) dated 28th July 2017 has been published in “**The Hindu**” & “**Andhra Bhoomi**” both dated 20th AUGUST 2017; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any person by the Competent Authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH16 in the stretch of land from Km. 580.700 to Km. 634.000 (The Revenue Division Office, Srikakulam) in the district of SRIKAKULAM in the State of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: SRIKAKULAM		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Etcherla				
	Viilage: Etcherla				
1	188/1	Government	D Patta DRY	0.20235	Menda Raja Rao S/o Rajappadu , Menda Jaya Laxmi W/o Daleppadu , Menda Latchnna S/o Peddarajanna , Menda Rajapadu S/o Tatayya 188/1B
			TOTAL	0.20235	

[F. No. NHAI/ PIU-Vizag /LA-3a/N.Pet-Ranasthalam /2017/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.